अज अदालत—न्यायालय जिला कलक्टर—मुकाम—भरतपुर

भूपेन्द्र कुमार अग्र0 बनाम विकास अधिकारी डीग

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 33 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
21.06.2023	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट भूपेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बृजबिहारी अग्रवाल निवासी कस्बा सौंख जिला मथुरा की सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी डीग के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील का अवलोकन किया गया। अपील के अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी, विकास अधिकारी डीग द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को आर.टी.आई. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सूचना नहीं दिये जाने के कारण यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। चूंकि आर.टी.आई. के तहत विकास अधिकारी डीग के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रधान, पंचायत समिति डीग का है। अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस कर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील प्रधान, पंचायत समिति डीग के यहाँ प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	